राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ–75)कोष / IFMS/Treasury/5517 दिनांक 11/12/2024

परिपत्र

भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक व राज्यों के वित्त सचिवों की दिनांक 08.10.2024 को नई दिल्ली में आयोजित कान्फ्रेन्स के एजेण्डा बिन्दु "Advancing time line for preparation of monthly civil accounts in State" के क्रम में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में राज्य के महालेखाकार कार्यालय द्वारा राज्य के सिविल मासिक लेखे भारत के नियत्रंक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय को अगले माह की 10 तारीख तक फ्रीज कर प्रेषित किये जाने अपेक्षित है। उक्त परिपेक्ष्य में भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राज्यों के मासिक लेखा प्रेषण के संबंध में उपलब्ध कराई गई नवीनतम समय–सीमा के क्रम में सभी कोषालयों के स्तर से मासिक लेखे आगामी माह की अधिकतम 5 तारीख तक तथा दैनिक लेखा T+2 के आधार पर अनिवार्य रूप से महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे। इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

(अ) कोषालय स्तर पर –

1. कोषालयों द्वारा रिजर्व बैंक / एजेन्सी बैंक से प्राप्त एकाउन्ट स्टेटमेन्ट / दैनिक स्क्रॉल के अनुसार लेखों का दिन–प्रतिदिन के आधार पर मिलान कर दैनिक लेखा महालेखाकार कार्यालय को T+2 के आधार पर प्रेषित किया जावेगा।
2. दैनिक लेखा के मिलान में यदि कोई तकनीकी कठिनाई हो तो उसी दिन तकनीकी समस्या की समीक्षा स्वयं के स्तर पर करते हुए पूर्ण विवरण सहित की जाने वाली कार्यवाही से तकनीकी टीम एवं निदेशालय कोष एवं लेखा का अवगत करवाया जावेगा।
3. आर.बी.आई. द्वारा प्राप्त होने वाले एकाउन्ट स्टेटमेन्ट से सिस्टम में उपलब्ध DN व वाउचर नम्बर के साथ बिल रेफरेन्स नम्बर तथा DN व चालान नम्बर का पूर्णतया मिलान कर Missing DN/RN हेतु परिशिष्ट–'क' पर संलग्न फार्मेट में सूचना आर.बी.आई. व निदेशालय कोष एवं लेखा की ई–मेल पर अनिवार्यत उसी दिवस को उपलब्ध करवायी जाये।

   इसी प्रकार एजेन्सी बैंक से प्राप्त बैंक स्क्रॉल व वाउचर नम्बर तथा चालान नम्बर की भिन्नताओं (यदि कोई हो तो) चैक नम्बर व जीआरएन नम्बर से चिन्हित कर निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग एवं संबंधित एजेन्सी बैंक को उसी दिवस को प्रेषित की जाये।

4. कोषालय स्तर पर दैनिक रूप से लेखों का विस्तृत मिलान किया जावेगा जिसके अन्तर्गत सभी रिपोट्स (जो मासिक लेखों के साथ महालेखाकार कार्यालय को मिलान कर प्रेषित की जाती है) जनरेट कर T+1 दिवस पर सम्पूर्ण मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
5. फार्मस ऑफ एकाउन्ट (वॉम लेखे) का भी मिलान सतत् रूप से कोषालयों के लेखों से किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा तथा सभी आवश्यक अपडेशन दिन–प्रतिदिन के आधार पर कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
6. कोषालय/उपकोषालयों से सम्बद्ध एजेन्सी बैको से सतत् समन्वय कर दैनिक स्क्रॉल एवं माह की समाप्ति पर Date wise monthly statement (डी.एम.एस.) आगामी माह के प्रथम कार्य दिवस को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जावेगा।
7. कोषालयों द्वारा वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग के परिपत्र क्रमांक 4574–4823 दिनांक 10.09.2020 में वर्णित बिन्दु B(3) Duties of treasury officers के सभी दिशा–निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जावेगी।
8. ई–कोषालय द्वारा विभिन्न कोषालयों से सम्बद्ध समायोजन प्रविष्टियां दिन–प्रतिदिन के आधार पर (बिना विलम्ब के) जनरेट कर सम्बद्ध कोषालयों को उपलब्ध करायी जानी सुनिश्चित की जावे तथा सभी सम्बद्ध कोषालयों द्वारा उक्त समायोजन प्रविष्टियों का कोषालय के लेखों में उसी दिन लेखांकन सुनिश्चित करते हुए लेखा महालेखाकार कार्यालय को T+2 के आधार परं प्रेषित किया जायेगा।
9. ई–कोषालय द्वारा मासिक लेखा प्रेषण के संबंध में वित्त (राजस्व) विभाग के परिपत्र दिनांक 20.01.2020 में वर्णित Role of Stakeholders के बिन्दु संख्या 2 एवं कर्त्तव्यों के बिन्दु संख्या 3 द्वारा जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
10. साईबर कोषालय द्वारा मासिक लेखा प्रेषण के संबंध में वित्त (मार्गोपाय) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.2023 एवं दिनांक 23.07.2024 के बिन्दु संख्या 22 एवं 23 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
11. आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में समय–समय पर उनके साथ समन्वय कर भविष्य में ऐसी त्रुटियां नहीं होने के क्रम में ठोस प्रयास किये जायेगें। महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालयों के मासिक लेखों के संबंध में अवगत कराये गये वेलीडेशन्स के क्रम में आहरण वितरण अधिकारी एवं कोषालयों में बिल पारित करने वाले कार्मिकों को अवगत कराते हुए उनका दोहराव रोका जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ब) निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग के स्तर से –

1. कोषालयों के मासिक लेखों के संबंध में प्राप्त होने वाली समस्याओं का एन.आई.सी. एवं तकनीकी टीम के माध्यम से समाधान कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा कोषालयों से प्राप्त होने वाली RN एवं DN संबंधित समस्याओं को आर.बी.आई. एवं एन.आई.सी. व तकनीकी टीम को प्रेषित कर उनका समाधान कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. कोषालयों/उपकोषालयों से सम्बद्ध एजेन्सी बैंको द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले दैनिक स्क्रॉल/ऑनलाईन स्क्रॉल एवं उनके लेखांकन व डी.एम.एस. संबंधी समस्याओं के निराकरण का कार्य निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। इस संबंध में सभी सम्बद्ध एजेन्सी बैंको एवं एन.आई.सी. व तकनीकी टीम को निर्देशित कर आवश्यक समाधान भी कोष एवं लेखा विभाग द्वारा किया जायेगा।
4. कोषालयों के लेखांकन में सतत् रूप से प्राप्त होने वाली समस्याओं के क्रम में एन.आई.सी. के माध्यम से सिस्टम में जाँच कर उनका स्थाई समाधान सुनिश्चित किया जायेगा।
5. कोषालयों से प्राप्त सभी तकनीकी समस्याओं का IFMS 3.0/IFMS 2.0/WAM/Pension की तकनीकी टीम के आपसी समन्वय से समाधान कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(स) आर.बी.आई. के स्तर से –

1. कोषाधिकारियों/उपकोषालयों द्वारा किये गये सभी राजकीय संव्यवहारों का Statement of accounts नियमानुसार T+0 के आधार पर सम्बद्ध कोषालयों को उपलब्ध कराया जावे।
2. कोषालयों एवं निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग से प्राप्त Missing RN/DN एवं एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की विसंगतियों संबंधी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जायेगा।
3. आर.बी.आई. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सक्षम अधिकृति के मेन्डेट के बिना राज्य सरकार के लेखों से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सके।

4. आर.बी.आई. द्वारा साईबर कोषालय के संव्यवहारों के संबंध में SLS wise CN एवं RN की सूचना एकाउन्ट स्टेटमेन्ट में उपलब्ध करायी जावेगी। SLS wise ही DMS भी उपलब्ध कराया जायेगा।
5. आर.बी.आई. द्वारा ई–कोषालय में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा राशि की सूचना ई–ग्रास पर Real time basis पर उपलब्ध करायी जावेगी। उक्त संव्यवहारों का एकाउन्ट स्टेटमेन्ट T+1 के आधार पर एवं DMS आगामी माह के प्रथम कार्य दिवस को उपलब्ध कराया जावेगा।

(द) एजेन्सी बैंकों के स्तर से –

1. कोषालयों/उपकोषालयों से सम्बद्ध सभी एजेन्सी बैंकों द्वारा दिन–प्रतिदिन के आधार पर किये गये सभी राजकीय संव्यवहारों के दैनिक स्क्रॉल T+1 आधार पर सम्बद्ध कोषालय/उपकोषालयों को सिस्टम के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
2. माह की समाप्ति पर कोषालय/उपकोषालय को डी.एम.एस. आगामी माह की प्रथम तिथि को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. विभिन्न प्रकरणों में कोषालय/उपकोषालयों से सम्बद्ध एजेन्सी बैंको द्वारा दैनिक स्कॉल उपलब्ध नहीं कराने/समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण महालेखाकार कार्यालय में आर.बी.डी. अन्तर के विभिन्न प्रकरण उत्पन्न हो रहे है जिसमें राज्य के मासिक लेखे प्रभावित होते है। सभी एजेन्सी बैंकों के स्तर पर कोषालयों/उपकोषालयों को सभी राजकीय संव्यवहारों का पूर्ण लेखा समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।
4. राजस्व प्राप्तियों को T+1 आधार पर State Account, RBI में Credit किया जाना अनिवार्य है विलम्ब की स्थिति में दण्डनीय ब्याज देय होगा।
5. वित्त (बजट) विभाग के परिपत्र क्रमांक 4706–33 दिनांक 29.10.2024 की पालना भी सुनिश्चित की जावे।

10/12/24

(देबाशीष पृष्टी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक / सिविल लेखा परीक्षा / वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर
2. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, सचिवालय, जयपुर
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (जी.एण्ड.टी.) विभाग, सचिवालय, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
5. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. सचिवालय, जयपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक (बैंकिंग), भारतीय रिजर्व बैंक, जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
8. वरिष्ठ निदेशक (आई.टी.), एन.आई.सी. एल.आई.सी. भवन, जयपुर।
9. उपमहाप्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, तिलक मार्ग, जयपुर।
10. फील्ड महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक नेहरू प्लेस, टोंक रोड़, जयपुर।
11. महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयरपोर्ट प्लाजा, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर।
12. सहायक उपमहाप्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, आनन्द भवन, संसार चन्द्र रोड, जयपुर।
13. उपमहाप्रबन्धक, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, किसान भवन, लालकोठी, जयपुर।
14. उप आंचलिक प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, सेक्टर–2, जवाहर नगर, जयपुर।
15. उपमहाप्रबन्धक, इण्डियन बैंक, 10, मोतीलाल अटल रोड़, गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर।
16. उपमहाप्रबन्धक, बैंक ऑफ महाराष्ट्रा, अशोक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
17. उपमहाप्रबन्धक, यू.को. बैंक, ऑरबिट मॉल, अजमेर रोड, जयपुर।
18. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी

(भूपेश माथुर)
संयुक्त शासन सचिव

परिशिष्ट-'क'

		Name of Treasury-	Statement of Account dated-		
	S.R.	RBI Bank	RBI Bank Amount	Rajkosh Amount	Difference Amount
		RBI ACC - 01586201110			
	1	Payments Return Consolidation NEFT Inventory No:			
	2	Payments Return Consolidation NEFT Inventory No:			
	3	Payments Return Consolidation NEFT Inventory No:			
	4	Payments Return Consolidation NEFT Inventory No:			
	5	Payments Return Consolidation NEFT Inventory No:			
	6	Payments Return Consolidation NEFT Inventory No:			
		Total			